

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2012/ज्यैष्ठ 15, 1934

No. 254]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2012/JYAISTHA 15, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

सा.का.नि. 418(अ).—केन्द्रीय सरकार गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियमावली, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्

1. (1) ये नियम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधित नियमावली, 2012 के नाम से अभिप्रेत होंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम 1996 (इसके बाद संशोधित नियम के रूप में संदर्भित होगा) में नियम 3 के बाद नियम 3 के पूर्व निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, जैसे:-

(3) "अधिनियम के तहत किसी आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इर्भेजिंग केन्द्र में अल्ट्रासोनोग्राफी करने के पात्र प्रत्येक चिकित्सा व्यावसायी को जिले के अन्दर अधिकतम दो ऐसे

क्लीनिक/केन्द्रों से ही पंजीकृत कराने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक क्लीनिक/केन्द्र के द्वारा इन चिकित्सा व्यावसायियों के परामर्श घंटे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जायेंगे।"

3. उपर्युक्त क्रियाओं के अधीन नियम 5 के रूप नियम (1) में निम्नलिखित उप नियम शामिल हैं:

(क) मद संख्या (क) में शब्द एवं अंकों में 3,000.00 रूपये शब्द के स्थान पर "पच्चीस हजार रूपये" होंगे;

(ख) मद संख्या (ख) में शब्द एवं अंकों में 4,000.00 रु. शब्द के स्थान पर "पैंतीस हजार रूपये" होंगे।

4. उक्त नियमावली के नियम 13 में "ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के अन्दर" के स्थान पर "ऐसे परिवर्तन की संभावित तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व और समुचित प्राधिकारी से पंजीयन प्रमाणपत्र के पुनः जारी करने का अनुरोध जिसमें परिवर्तन का विधिवत समावेश होगा"।

[फा. सं. 24026/60/2008-पीएनडीटी]

मनोज झलानी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :-

मूल अधिसूचना जी.एस.आर. 1(ई.) दिनांक 1 जनवरी, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और बाद में अधिसूचना सं. जीएसआर 109 (ई.), दिनांक 14.2.2003, जीएसआर 426 (ई.) दिनांक 31.5.2011, जीएसआर 80(ई.) दिनांक 9.2.2012 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2012

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996 namely :-

1. (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules,

1995 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 3, the following shall be inserted, before rule 3A, namely:-

"(3) Each medical practitioner qualified under the Act to conduct ultrasonography in a genetic clinic/ ultrasound clinic/ imaging centre shall be permitted to be registered with a maximum of two such clinics/ centres within a district. The consulting hours for such medical practitioner, shall be clearly specified by each clinic/ centre".

3. In the said rules, in rule 5 in sub-rule (1), the following sub-rule,-

(a) In item (a) for the letters and figure "Rs. 3,000.00", the words "rupees twenty five thousand" shall be substituted.

(b) In item (b) for the letters and figure "Rs 4,000.00", the words "rupees thirty five thousand" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 13, for the words "within a period of thirty days of such change", the words "at least thirty days in advance of the expected date of such change, and seek re-issuance of certificate of registration from the Appropriate Authority, with the changes duly incorporated" shall be substituted.

[F. No. 24026/60/2008-PNDT]

MANOJ JHALANI, Jr. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 1996 and subsequently amended, vide notification numbers. G.S.R. 109 (E), dated the 14th February, 2003; G.S.R. 426 (E), dated the 31st May, 2011; G.S.R. 80 (E), dated the 9th February 2012.